राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांकः- प. 20 (2) गृह-9/2024 जयपुर दिनांकः 25 SEP 2025

अधिसूचना

यत् राज्य सरकार की यह राय है कि जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ में हड़ताल होने से सेवाओं के प्रदाय एवं अनुरक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा और उसके परिणामस्वरूप समुदाय को भारी कठिनाई का सामना करना पडेगा।

अतः अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार तुरन्त प्रभाव से जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को एतद्द्वारा दिनांक 25-09-2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
4. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त जयपुर।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
9. उप शासन सचिव गृह (ग्रुप 6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में आनलाईन प्रकाषित किये जाने हेतु। साफ्ट कापी
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

क्रमांकः- प. 20 (2) गृह-9/2024 जयपुर दिनांकः 25 SEP 2025

अधिसूचना

यत् राज्य सरकार ने राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25-09-2025 के द्वारा जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त सेवाओ को दिनांक 25-09-2025 से आगामी 06 माह तक अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है;

यत् और राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में उक्त अत्यावश्यक सेवाओं में हडताल किये जाने को प्रतिषेध किया जाना आवश्यक है;

अत: अब राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (1970 का अधिनियम संख्या 22) की धारा 3 की उप-धारा (1) की शक्तियों को प्रयोग करते हुये राज्य सरकार जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JMRCL) के समस्त कार्यालय एवं कर्मचारियों तथा उसके कार्यकलापों से संबंधित समस्त अत्यावश्यक सेवाओ में हड़ताल किये जाने को एतदद्वारा दिनांक 25-09-2025 से आगामी 06 माह तक के लिये प्रतिषेध करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(महेश कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान जयपुर ।
2. संयुक्त सचिव मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ।
4. महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त जयपुर।
6. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर।
7. पुलिस आयुक्त जयपुर।
8. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान जयपुर।
9. उप शासन सचिव गृह (ग्रुप 6) विभाग को उक्त अधिसूचना विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

10. निदेशक मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग राजस्थान जयपुर को उक्त अधिसूचना राजपत्र में आनलाईन प्रकाषित किये जाने हेतु। साफ्ट कापी
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव